तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज केस 115/2024 प्रतापसिंह बनाम बल्लूसिंह व०अ०	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
5/8/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रा० पत्र का अवलोकन किया गया प्रा० पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा० मि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— 114/2024

1. प्रतापसिंह पुत्र भजनलाल जाति जाट निवासी फतेहपुर तहसील उच्चैन।

.....प्रार्थी

बनाम

1. बच्चूसिंह
2. रामवीर
3. लेखराज
4. मुकेश पुत्रान बाबूलाल जाति गूजर निवासी नगला खडईया तहसील उच्चैन।
5. दीपक पुत्र बच्चूसिंह जाति गूजर निपवासी नगला खडईया तहसील उच्चैन।
6. हेमराज पुत्र बच्चूसिंह जाति गूजर निवासी नगला खडईया तहसील उच्चैन।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री घनश्याम धनकर एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः—05.08.2025**

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थी की न्यारानूर खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 653/0.36है0 वाके ग्राम फतेहपुर में स्थित है उक्त आराजी में मुझ प्रार्थी के अलावा अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है। उक्त आराजी मुझ प्रार्थी को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है मुझ प्रार्थी की उक्त आराजी विवादित के तरफ उत्तरमें अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 654 स्थित है। यानि कि मुझ प्रार्थी की उत्तरी एवं अप्रार्थीगण की दक्षिणी मेड एक है विगत दो तीन वर्ष से अप्रार्थीगण अपनी बहुलता एवं ताकत का फायदा उठाकर उक्त आराजी विवादित की उत्तरी मेड को हर बार तोड देते है तो तीन वर्षो से प्रार्थी जरिये पुलिस अप्रार्थीगण को पाबन्द कराता रहा है चुंकि अप्रार्थीगण संख्या बल एवं आर्थिक बल में बहुत ज्यादा है तथा झगडालू किस्म के व्यक्ति है। दिनांक 14.05.2023 को अप्रार्थीगण एकराय कर आराजी विवादित की डोल को तोड कर जोतना शुरू कर दिया एवं प्रार्थी की आराजी की तरफ घुस आये जब प्रार्थी ने मना किया तो झगडे पर उतारू हो गये गांव के लोगों ने अप्रार्थीगण को समझाकर वापस भेज दिया परन्तु अप्रार्थीगण ने अन्य मुकदमे राजीनामा करने की धमकी दी एवं राजीनामा नहीं करने की स्थिति में उक्त वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी से बेदखल करने एवं जबरन कब्जा करने की धमकी दी जिसके कारण प्रार्थी ने उक्त प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जबाव पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के खिलाफ सन्

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

2019 में एक वादपत्र पेश किया था जिसमें दिनांक 25.05.2019 को स्थगन आदेश पारित हुआ था जिसमें सायल को मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पावंद भी किया हुआ था उस समय सायल ने ही उक्त आराजी की डौल मैड तोड दी थी इसलिए अप्रार्थीगण ने उसे पावंद कराया था उस समय ग्राम पंचायतों में राजस्व अभियान में उसमें राजीनामा करा दिया था और वह स्थगन आदेश विड्रो कर लिया था। अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा जो 447 आई.पी.सी का मुकदमा दर्ज कराया था उसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा जांच पडताल करने उसमें एफ. आर. लगा दी है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की वहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थीगण अपनी वहुलता एवं ताकत का फायदा उठाकर उक्त विवादित आराजी की उत्तरी डौल मैडों को हर बार तोड देते है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को जरिये पुलिस भी कई बार पावंद करबाया है लेकिन अप्रार्थीगण संख्या वल एवं आर्थिक बल में मजबूत होने के कारण उक्त कार्यवाही का कोई भी प्रभाव अप्रार्थीगण पर नहीं होता है एवं अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित आराजी पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके कारण अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधज्ञा से पावंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के खिलाफ सन् 2019 में एक वादपत्र पेश किया था जिसमें दिनांक 25.05.2019 को स्थगन आदेश पारित हुआ था जिसमें सायल को मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पावंद भी किया हुआ था उस समय सायल ने ही उक्त आराजी की डौल मैड तोड दी थी इसलिए अप्रार्थीगण ने उसे पावंद कराया था उस समय ग्राम पंचायतों में राजस्व अभियान में उसमें राजीनामा करा दिया था और वह स्थगन आदेश विड्रो कर लिया था। अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा जो 447 आई.पी.सी का मुकदमा दर्ज कराया था उसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा जांच पडताल करने उसमें एफ.आर. लगा दी है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है चुंकि उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी बाबत् अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पावंद किया जाना न्यायेचित प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रकरण में मजबूत प्रथमदृष्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में अब प्रार्थी को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी में खातेदार काश्तकार होने आधार पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पावंद करबाना

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

चाहा गया है। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद नहीं किया जाता है और विवादित आराजी के मौके की स्थिति में यदि कोई परिवर्तन आदि होता है तो प्रार्थी के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना सम्भावितं है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है एवं उक्त आराजी पर पूर्व में भी अप्रार्थीगण के द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गई थी एवं अप्रार्थीगण पुनः उक्त विवादित आराजी पर कब्जा करना चाहते है जिसके कारण प्रार्थी को राजस्व वाद पेश करना पडा जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी ने झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि उक्त आराजी में मौके की स्थिति यथाबत रखने हेतु अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से प्रार्थी को होने वाली असुविधा अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा से अधिक प्रतीत होने के कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थी को हुई असुविधा अप्रार्थीगण को होने बाली असुविधा से अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश हैः—

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस अम्र जारी कर पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी ख0 नं0 653/0.36है0 बाके ग्राम फतेहपुर तहसील उच्चैन में प्रार्थी के कब्जे काश्त में बेजा दखलंदाजी न करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 05.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर